In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

T.S–477 / 2000

हरीहर राय वगैरह बनाम राम समुझ राय वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
30.10.2025	उभयपक्ष की हाजिरी है। वादी की ओर से दिनांक–29.08.2022 को इस आशय का आवेदन दिया गया है कि मौजूदा मुकदमा में मुदालय उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किये हैं और बयान तहरीरी में स्पष्ट रूप में बंटवारा हो गया है का जिक्र किये है। ऐसे हालत में वादी निवेदन करते हैं कि मुदालय फरीक औवल को पहले मुकदमा हाजा में गवाही लाने का हुक्म दिया जाए। प्रतिवादी की ओर से दिनांक–30.10.2025 को वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर निवेदन किया गया है कि वादी का सवाल कानूनतः पोषणीय नहीं है क्योंकि वादी का सवाल किस कानून के वो अंदर हसब आदेश वो दफा के तरह दिया गया है। उल्लेख नहीं है। वादी का सवाल बिना तसदिकी वो वगैर शपथ के अधिवक्ता के माध्यम से दिया गया है, जो काबिल खारिज के है। वादी के सवाल के माध्यम से कहना की मुदालय ने अपने बेयान तहरीरी में बंटवारा हो जाने के बेयान किया है जिस आधार पर प्रतिवादी के पहले गवाही देना चाहिए गलत बेयान किया है। प्रतिवादी औवल ने बेयान तहरीरी में बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड का कही उल्लेख नहीं किया है बल्कि बेयान तहरीरी के पारा 10 में कहा है कि 1959 में केदार राय के मरने के तुरंत वाद सब मौरूसी का बंटवारा हो गया जो एहलदगी होना कहा गया है कि आधार पर वादी को मुकदमा में पहले गवाही देना होगा वो साबित करना होगा कि जायदाद इजमाल है। वादी का सवाल मुकदमा को पुराना वाद होने के उपरांत और भी जान बुझकर लिंगर करने का प्रयास है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है। वाद लगभग 25 वर्ष पहले संस्थित किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बयान तहरीरी के पारा 8, 11, 12 में वादी द्वारा बंटवारा का तथ्य वर्णित किया	

लगातार 30.10.2025	गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा खानगी बांट की बात कही गयी है न कि नापजोख कर बंटवारा की बात कही गयी है। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में बंटवारा का कोई अनुसूची दर्ज नहीं किया गया है। वैसी परिस्थिति में स्पष्ट है कि वादी का आवेदन दिनांक–29.08.2025 आधारहिन होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद काफी पुराना है। अतः वादी को निर्देश दिया जाता है कि आगामी 7 तिथियों में विवाद्यक गठन के पश्चात अपना साक्ष्य समाप्त करेंगे। वास्ते दिनांक–21.11.2025 दोनों पक्ष के मूल दस्तावेज दाखिल करने हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	